

विज्ञापन सं०-01/2017

लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना में प्रधान आप्त सचिव के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु

लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना में रिक्त प्रधान आप्त सचिव के 02 दो पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन विहित-प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :-

1. **पात्रता :-**
 - i माननीय उच्च न्यायालय, पटना से समकक्ष पद से सेवा निवृत्त आशुलिपिक सम्बर्ग के पदाधिकारी ।
 - ii अंग्रेजी आशुलेखन तथा टंकण का ज्ञान अनिवार्य है।
2. **उम्र सीमा :-** 01.07.2017 को अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक होगी।
3. कार्य असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के नियोजन समाप्त किया जा सकेगा ।
4. निम्नांकित कोटि के कर्मियों को नियोजन नहीं किया जा सकेगा :-
 - i जिन पर कोई निगरानी का मामला चल रहा हो ।
 - ii जिन पर कोई विभागीय कार्यवाही चल रही हो ।
 - iii जिन पर कोई गम्भीर आरोप विचाराधीन हो ।
 - iv जिन पर किसी भी तरह का कोई अपराधिक मामला दर्ज हो ।
 - v जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में सक्षम नहीं है।
5. उपर्युक्त शर्तों के अधीन जो माननीय उच्च न्यायालय पटना से समकक्ष पद से सेवानिवृत्त आशुलिपिक संवर्ग के पदाधिकारी संविदा पर नियोजन के लिए इच्छुक हैं, वे अपना आवेदन विहित प्रपत्र में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि 08.06.2017 से 15 पन्द्रह दिनों के भीतर 4, कौटिल्य मार्ग, पटना-1 स्थित लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना में जमा कर सकते हैं ।

जय प्रकाश सिंह
लोकायुक्त के अपर सचिव-सह-सचिव

नियोजन हेतु विहित आवेदन का प्रारूप

1. सेवानिवृत्त पदाधिकारी का नाम :-

मोबाईल संख्या-

E mail I.D.

2. अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम :-

3. जन्म तिथि :-

4. सेवानिवृत्ति की तिथि :-

5. वर्तमान पता :-

6. स्थायी पता :-

7. नियुक्ति की तिथि :-

8. विभाग का नाम जहाँ से अभ्यर्थी सेवा निवृत्त हुए हैं :-

9. i पदनाम :-

जिस पद से सेवानिवृत्त हुए हैं

ii उक्त पद पर कुल सेवावधि :-

10. अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई अपराधिक वाद/निगरानी

वाद/विभागीय कार्यवाही लंबित है या नहीं

स्थान :

तिथि:

आवेदक का हस्ताक्षर

नोट :- i विज्ञापन को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार माननीय अध्यक्ष, लोकायुक्त बिहार, पटना के समक्ष सुरक्षित रहेगा ।

ii किसी भी विवाद का निपटारा माननीय अध्यक्ष, बिहार, लोकायुक्त कार्यालय, पटना के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में रहेगा ।

